

1. दिनेश उम्र बालिग पुत्र श्री प्रकाश जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. ओमदत्त उम्र बालिग पुत्र श्री गणेशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

ब न म

01. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान तहसीलदार, बिजयनगर कार्यालय तहसीलदार तहसील परिसर बिजयनगर, जिला अजमेर।
- राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एव धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम आदेश

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा मसूदा द्वितीय पटवार क्षेत्र मसूदा द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2070-2076 के खसरा संख्या 2916 रकबा 0.2103 है0 बारानी 1, 2923 रकबा 0.2751 है0 बारानी 3, भूमिया प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं होने से अपनी आराजीयात की तरक्की नहीं कर पा रहे है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में फसल की जानवरों से सुरक्षा हेतु प्रार्थीगण अपनी सीमा में फैंसिंग व दीवार बनाना चाहते है, लेकिन तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा पत्थरगढ़ी आदेश कें अभाव में कार्य रूकवा दिया गया । जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा मसूदा द्वितीय पटवार क्षेत्र मसूदा द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2070-2076 के खसरा संख्या 2916 रकबा 0.2103 है0 बारानी 1, 2923 रकबा 0.2751 है0 बारानी 3, भूमिया प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप-चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एवं विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एवं संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा मसूदा द्वितीय पटवार क्षेत्र मसूदा द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2070-2076 के खसरा संख्या 2916 रकबा 0.2103 है0 बारानी 1, 2923 रकबा 0.2751 है0 बारानी 3 का मौके पर जरिये माप एवं सीमाकन सीमा कायम कर पत्थरगढ़ी कारवाना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)

आर0ए0एस0

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी